प्रेस नोट दिनांक 14.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 14.08.2026
थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा हत्या (पुरानी रंजिश के चलते) के अभियोग में नामजद 01 अभियुक्त दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद डण्डा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 13.08.2026 की शाम थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत गजाधर इण्टर कॉलेज, लक्ष्मणपुर के पास सौरभ विश्वकर्मा की हत्या की घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 0279/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 310(3), 61(2)(a), 351(3) एवं 125 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लीलापुर श्री अमला सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 279/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/61(2)(a)/351(3)/125 बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित नामजद अभियुक्त दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी पुत्र स्व0 अवधेश तिवारी, निवासी ग्राम डांडी, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर चितरी नहर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम शिवबोझ मोड़ के पास झाड़ियों से 01 अदद डण्डा आलाकत्ल बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण—
गिरफ्तार अभियुक्त दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.08.2026 को वह अपने साथियों के साथ मिलकर गजाधर इण्टर कॉलेज, लक्ष्मणपुर के पास सौरभ विश्वकर्मा के साथ लाठी-डण्डा एवं सरिया से मारपीट की घटना में शामिल था। मारपीट के दौरान सौरभ विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद सभी लोग मौके से अलग-अलग दिशा में चले गए। अभियुक्त ने बताया कि घटना के दौरान उसके हाथ में डण्डा था, जिससे उसने सौरभ विश्वकर्मा के साथ मारपीट की थी। घटना के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद डण्डे को ग्राम शिवबोझ मोड़ के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम शिवबोझ मोड़ के पास झाड़ियों से 01 अदद डण्डा आलाकत्ल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
1-दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी पुत्र स्व0 अवधेश तिवारी उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम डांडी, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी का आपराधिक इतिहास—
1-मु0अ0सं0 279/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/61(2)(a)/351(3)/125 बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
2-मु0अ0सं0 123/2018, धारा 452/323/504/506 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3-मु0अ0सं0 654/2017, धारा 147/323/506 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—
01 अदद डण्डा (आलाकत्ल)

पुलिस टीम का विवरण—
प्रभारी निरीक्षक लीलापुर श्री अमला सिंह मय वरिष्ठ उ0नि0 अंकुर कैथवास, उ0नि0 दीपक कुमार यादव, का0 हरेन्द्र सिंह, रि0का0 पूर्णेन्द्र प्रताप, रि0का0 सूरज कुमार गौड़, रि0म0का0 प्रीती देवी, चालक का0 योगेश कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-13, प्रतापगढ़ से निर्गत वारंट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उ0नि0 अशोक कुमार यादव मय हमराह रि0का0 अंकित पासवान व रि0का0 पंकज कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र की देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश के दौरान क्रिमिनल केस नं0 4318/2015, लालगंज/202/2001, धारा 323/325/504/506 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त कन्धई पुत्र दुखी सरोज, निवासी ग्राम लकुरी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 70 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उसे समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
1- कन्धई पुत्र दुखी सरोज, उम्र करीब 70 वर्ष, निवासी ग्राम लकुरी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम—

उ0नि0 अशोक कुमार यादव, रि0का0 अंकित पासवान, रि0का0 पंकज कुमार सिंह थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.08.2026
थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-13, प्रतापगढ़ से निर्गत वारंट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह का0 संजय कुमार व का0 संतोष यादव द्वारा क्षेत्र की देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश के दौरान क्रिमिनल केस नं0 4196/2021, लालगंज/05/2004, धारा 323/504/506 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त घई उर्फ लालता प्रसाद पुत्र मलहू राम, निवासी ग्राम बनपुकरा धधुआगाजन, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 57 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
1-घई उर्फ लालता प्रसाद पुत्र मलहू राम, उम्र करीब 57 वर्ष, निवासी ग्राम बनपुकरा धधुआगाजन, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम—
उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया,का0 संजय कुमार,का0 संतोष यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.08.2026 साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़

पार्सल डिलीवरी के नाम पर कॉल फॉरवर्डिंग कर व्हाट्सऐप हैक करने वाले अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़ ने किया पर्दाफाश, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़ द्वारा पार्सल डिलीवरी/पता सत्यापन के नाम पर कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय कर व्हाट्सऐप अकाउंट हैक करने वाले अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 मोबाइल फोन एवं 03 सिमकार्ड बरामद किए गए।

अंतरराज्यीय साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा, 15 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 80 शिकायतों से जुड़े अभियुक्तों द्वारा ₹37.79 लाख की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा

दिनांक 27.07.2026 को पुटुश कुमार पुत्र स्व0 सत्येन्द्र साव, निवासी ग्राम नसरतपुर, थाना बरबीघा, जनपद शेखपुरा, बिहार, उम्र लगभग 23 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 22.06.2026 को पीड़ित निवासी 39 पल्टन बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़ पर लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात जालसाजों द्वारा पार्सल डिलीवरी के नाम पर उन्हें झांसे में लेकर एक विशेष कोड डायल करवाया गया, जिसके फलस्वरूप उनके मोबाइल नंबरों पर कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो गई। इसके बाद साइबर अपराधियों द्वारा उनके दोनों मोबाइल नंबरों के व्हाट्सऐप अकाउंट पर अवैध रूप से नियंत्रण प्राप्त कर उनके रिश्तेदारों एवं परिचितों से धोखाधड़ी की गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 23/2026, धारा 318(4)/319(2) बीएनएस एवं 66(C)/66(D) आईटी एक्ट के अंतर्गत अज्ञात साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार के पर्वेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा नेतृत्व में साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए अपराध में प्रयुक्त बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, UPI ID एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को ट्रेस किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्तगण 01. अमित कुमार पुत्र स्व0 केदार राम, उम्र करीब 20 वर्ष, 2. लालटुश कुमार पुत्र चन्द्रिका यादव उर्फ चाँद 3. सोनू कुमार पुत्र रामचन्द्र उर्फ मुन्नाराम निवासीगण ग्राम नसरतपुर, थाना बरबीघा, जनपद शेखपुरा, बिहार को दिनांक 14.08.2026 को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ एवं तकनीकी जांच से प्रकाश में आया कि उक्त गिरोह द्वारा इंटरनेट एवं गूगल सर्च के माध्यम से संभावित पीड़ितों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबरों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती थी। इसके बाद गिरोह के सदस्य फर्जी/अन्य सिमकार्ड से पीड़ितों को कॉल कर स्वयं को कूरियर अथवा पार्सल सर्विस का प्रतिनिधि बताते थे तथा पार्सल डिलीवरी अथवा पता सत्यापन के नाम पर पीड़ित को कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करने के लिए कहते थे।

कोड डायल करते ही पीड़ित के मोबाइल नंबर की इनकमिंग कॉल अपराधियों के मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती थी। इसके बाद अपराधी कॉल आधारित सत्यापन (Call-Based Verification) का दुरुपयोग कर पीड़ित के व्हाट्सऐप अकाउंट पर अनधिकृत रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे । व्हाट्सऐप अकाउंट पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद अपराधी पीड़ित के रिश्तेदारों एवं परिचितों को बीमारी, दुर्घटना अथवा अस्पताल में भर्ती होने जैसी परिस्थितियों का हवाला देकर भावनात्मक रूप से भ्रमित करते थे तथा फर्जी बैंक खातों एवं QR कोड के माध्यम से धनराशि प्राप्त करते थे। ठगी की धनराशि प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा बैंक खातों को ब्लॉक किए जाने से पूर्व ही एटीएम एवं अन्य माध्यमों से धनराशि निकाल ली जाती थी।

अंतरराज्यीय स्तर पर साइबर धोखाधड़ी के 80 मामलों से संबंध—

समन्वय पोर्टल पर की गई जांच में प्रकाश में आया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से संबंधित साइबर धोखाधड़ी की कुल 80 शिकायतें विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हैं।

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	लिंक्ड शिकायते
1. महाराष्ट्र	22
2. उत्तर प्रदेश	21
3. बिहार	06
4. पश्चिम बंगाल	06
5. दिल्ली	04
6. मध्य प्रदेश	03
7. तेलंगाना	03
8. उत्तराखंड	03
9. हरियाणा	02
10. राजस्थान	02
11. तमिलनाडु	02
12. गुजरात	02
13. झारखंड	02
14. जम्मू-कश्मीर	01
15. आंध्र प्रदेश	01
कुल 15 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	80

समन्वय पोर्टल पर की गई जांच में प्रकाश में आया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा विभिन्न राज्यों में दर्ज कुल 80 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में लगभग ₹37,79,247/- (सैंतीस लाख उन्यासी हजार दो सौ सैंतालीस रुपये) की धनराशि की साइबर ठगी की गई थी।

बरामदगी—

01- 03 अदद मोबाइल फोन- (OnePlus Nord CE 2, Vivo T2x 5G, Realme 12 Pro+ 5G)

02- 03 अदद सिमकार्ड- (Airtel – 02, Jio – 01)

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. अमित कुमार पुत्र स्व0 केदार राम, उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम नसरतपुर, थाना बरबीघा, जनपद शेखपुरा, बिहार।
2. लालटुश कुमार पुत्र चन्द्रिका यादव उर्फ चाँद निवासी ग्राम नसरतपुर, थाना बरबीघा, जनपद शेखपुरा, बिहार।
3. सोनू कुमार पुत्र रामचन्द्र उर्फ मुन्नाराम निवासी ग्राम नसरतपुर, थाना बरबीघा, जनपद शेखपुरा, बिहार।

पुलिस टीम—

निरीक्षक दिवाकर सिंह यादव मय हमराह उ0नि0 नदीम खाँ, उ0नि0 अजीत सिंह, सर्विलांस सेल, आरक्षी हर्षदीप, आरक्षी चालक ज्वाला सिंह साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में साइबर अपराध से संबंधित अन्य तथ्यों, बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन एवं गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों के संबंध में विस्तृत जांच/पूछताछ की जा रही है।

अपील-
जनपद प्रतापगढ़ पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा पार्सल डिलीवरी, बैंकिंग, केवाईसी, मोबाइल सिम अथवा अन्य किसी बहाने से बताए गए कोड को अपने मोबाइल फोन में डायल न करें तथा किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ OTP, बैंक विवरण, UPI PIN अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस नोट दि0-14.08.2026
थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 इन्देश कुमार मय हमराह का0 अख्तर अंसारी,का राघवेन्द्र सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय अपर सिविल जज कोर्ट नं0 24 महोदय जनपद प्रतापगढ द्वारा जारी मु0अ0सं0 534/1994 धारा 498 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धि वारण्टी 01 अभियुक्त दयाशंकर पुत्र स्व0 कृपाशंकर यादव निवासी बढ़नपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 55 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. दयाशंकर पुत्र स्व0 कृपाशंकर यादव निवासी बढ़नपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 55 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 इन्देश कुमार मय हमराह का0 अख्तर अंसारी,का राघवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.08.2026
थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों/वारण्टियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 विधिचन्द, का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों के दौरान माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों 1. रुपेश कुमार कोरी पुत्र गणेश कोरी, निवासी ग्राम नरवल, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष, सम्बन्धित फौजदारी वाद संख्या 860/25 व अ0सं0 143/24 धारा 115(2)/352/351(2)/324(4)/117(2) बीएनएस तथा 2. शिवम तिवारी पुत्र गिरजाशंकर तिवारी, निवासी ग्राम पूरे नन्दू तिवारी रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष, सम्बन्धित फौजदारी वाद संख्या 846/23 व अ0सं0 198/22 धारा 323/504/506 भादवि को उनके घर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-
1. रुपेश कुमार कोरी पुत्र गणेश कोरी, निवासी ग्राम नरवल, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. शिवम तिवारी पुत्र गिरजाशंकर तिवारी, निवासी ग्राम पूरे नन्दू तिवारी रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 विधिचन्द, का0 अमित कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.08.2026
थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा सब्जी मंडी में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के सामान की बिक्री से प्राप्त ₹8,500 नगद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 09/10.08.2026 की रात्रि भूपियामऊ चौराहा स्थित सब्जी मंडी में वादी की दुकान का ताला तोड़कर 10 बोरी प्याज तथा बगल की दुकान से 01 बोरी अदरक चोरी किए जाने के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 228/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस द्वारा घटना के अनावरण हेतु सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से कई बार मंडी से बोरी ले जाते हुए तथा रानीगंज की ओर जाते हुए दिखाई दिया। सीसीटीवी

फुटेज के आधार पर वाहन संख्या UP72BQ1982 की पहचान की गई। जांच के दौरान उक्त वाहन के स्वामी से पूछताछ एवं वीडियो फुटेज के आधार पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की पहचान अमर सिंह पटेल उर्फ सोनू के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.08.2026 को भूपियामऊ चौराहे के पास गौरीशंकर मंदिर के निकट आंवले की बाग से अभियुक्त अमर सिंह पटेल उर्फ सोनू पुत्र सुभाष चन्द्र पटेल, निवासी ग्राम सराय सेतराय दुर्गागंज, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए प्याज एवं अदरक की बिक्री से प्राप्त शेष धनराशि ₹8,500 नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP72BQ1982 बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा चोरी किए गए प्याज एवं अदरक को मुंगरा बादशाहपुर स्थित सब्जी मंडी में बेचने की बात बताई गई। बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अमर सिंह पटेल उर्फ सोनू पुत्र सुभाष चन्द्र पटेल, निवासी ग्राम सराय सेतराय दुर्गागंज, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
₹8,500/- नगद।
01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP72BQ1982।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह मुख्य आरक्षी दुर्ग विजय कुमार, का0 किशन यादव एवं का0 अनुज कुमार, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.08.2026
थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 08 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 शिवशरण मय हमराह हे0का0 शिवानन्द यादव, का0 आनन्द यादव तथा उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर मय हमराह का0 अभिनव द्विवेदी, का0 बीरपाल, रि0का0 विवेक यादव, रि0का0 नरसिंह चौहान, रि0का0 शिवम कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्तों के दौरान माननीय न्यायालय सदर प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट/ई-वारंट से संबंधित कुल 08 वारण्टी अभियुक्तों को उनके घरों से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. रामसुमेर पुत्र बच्चलाल निवासी ग्राम मुर्तजापुर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 47 वर्ष, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 1133/2021, मु0अ0सं0 124/2005 धारा 434/504/323 भादवि।
2. अमृतलाल पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम खनवारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 64 वर्ष, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 1525/2021, मु0अ0सं0 06/1987 धारा 379/411 भादवि।
3. छोटकू उर्फ छोटेलाल पुत्र स्व0 जियालाल निवासी ग्राम खनवारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 402/2021, मु0अ0सं0 266/1998 धारा 380/411 भादवि।
4. रामखेलावन पुत्र स्व0 जियालाल निवासी ग्राम खनवारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 402/2021, मु0अ0सं0 266/1998 धारा 380/411 भादवि।
5. मेवालाल पुत्र मैकूलाल निवासी ग्राम डड़िया खनवारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 1574/2021, मु0अ0सं0 98/2002 धारा 379/411 भादवि।
6. सुरेश नरायण पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम सेमरा, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 687/2021, मु0अ0सं0 71/2002 धारा 325/323/504 भादवि।
7. अमृतलाल पुत्र माताबदल निवासी ग्राम बाबू का पुरवा विजयी मऊ, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 57 वर्ष, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 1564/2021, मु0अ0सं0 186/2000 धारा 307/323/504/506 भादवि।
8. राजकुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम अस्थवां, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष, सम्बन्धित क्रिमिनल केस नं0 1236/2021, मु0अ0सं0 15/1996 धारा 323/504/325 भादवि।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शिवशरण मय हमराह हे0का0 शिवानन्द यादव, का0 आनन्द यादव।
उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर मय हमराह का0 अभिनव द्विवेदी, का0 बीरपाल, रि0का0 विवेक यादव, रि0का0 नरसिंह चौहान, रि0का0 शिवम कुमार थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.08.2026
थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों/वारण्टियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 विधिचन्द, का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों के दौरान माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों 1. रुपेश कुमार कोरी पुत्र गणेश कोरी, निवासी ग्राम नरवल, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष, सम्बन्धित फौजदारी वाद संख्या 860/25 व अ0सं0 143/24 धारा 115(2)/352/351(2)/324(4)/117(2) बीएनएस तथा 2. शिवम तिवारी पुत्र गिरजाशंकर तिवारी, निवासी ग्राम पूरे नन्दू तिवारी रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष, सम्बन्धित फौजदारी वाद

संख्या 846/23 व अ0सं0 198/22 धारा 323/504/506 भादवि को उनके घर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-
1. रुपेश कुमार कोरी पुत्र गणेश कोरी, निवासी ग्राम नरवल, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. शिवम तिवारी पुत्र गिरजाशंकर तिवारी, निवासी ग्राम पूरे नन्दू तिवारी रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 विधिचन्द, का0 अमित कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 13.08.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचा 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अमर यादव गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.08.2026 को थाना रानीगंज पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर राजापुर खरहर से बाग के पास से 01 अभियुक्त अमर यादव पुत्र रामकुमार यादव, निवासी नरसिंहपुर दीवानगंज, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 398/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अवैध शस्त्रों की तस्करी/प्रयोग एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा उक्त प्रभावी कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अमर यादव पुत्र रामकुमार यादव, निवासी नरसिंहपुर दीवानगंज, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव, का0 मनोज कुमार, रि0का0 विशाल चन्द्र भारती एवं रि0का0 गौरव प्रकाश गौतम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।